जिला अधिवक्ता संघ, सागर (म.प्र.)

सत्र 2018-2020

स्टेट बार कॉउन्सिल ऑफ मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा क्रमांक 85 पर मान्यता प्राप्त

कार्यालय- (07582) 2221415, ई-मेल - sagarbarass2018@gmail.com

स्थापना वर्ष 1861

अध्यक्ष
डॉ.अंकलेश्वर दुबे 'अन्नी'
+91 9425170766
annidubey8899@gmail.com

उपाध्यक्ष
राजेश मिश्रा (नोटरी)
+91 9425663329
notryrajeshmishra@gmail.com

सचिव
ब्रजकिशोर यादव
+91 9303478112
bkyadav38@gmail.com

सह सचिव
भूपेन्द्र नाथ पाठक
+91 9753120700

कोषाध्यक्ष
मनीष पाण्डे
+91 9669564243
advmanishpandey@gmail.com

पुस्तकालय अध्यक्ष
नरेन्द्र पाण्डे
+91 7509292855
advnarendrapandey@gmail.com

कार्यकारिणी सदस्य
श्रीमति शिरोमणी जैन
+91 9893641728
shiromanijain1175@gmail.com

मनीष कुमार तिवारी
+91 9993607192
manisht259@gmail.com

राकेश खरे
+91 9329870923
rakesh280782@gmail.com

दीपक कुमार तिवारी
+91 9617394291
dt0378050@gmail.com

अमित मिश्रा
+91 9826830039
amitemashramintu@gmail.com

15.010.19

प्रति,

श्री आर. एस. शर्मा जी
चेयरमेन, ट्राई
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
(ओल्ड मिन्टो रोड) नई दिल्ली 1100002

महोदय,

ट्राई द्वारा बर्ष 2019 के बाद आईयूसी को लागू करने का फैसला लिया जाना अत्यन्त ही अचंभित करने बाला हैं। क्योकि वर्तमान में जनता अनेक प्रकार के टेक्स के बोझ तले दबी हुई है। यही नही एक ही वस्तु पर कई वार टेक्स अदा करना पड़ रहा है। और अब यदि पुनः आईयूसी को लागू कर दिया जाता है तो इस निर्णय से ग्रहकों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योकि आईयूसी के कारण अतिरिक्त शुल्क का बोझ अन्य दूरसंचार कंपनियों द्वारा अन्ततः उपभोक्ताओं पर ही डाला जायेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सही नेटवर्क न मिलने से उपभोक्ता द्वारा किया गया कॉल पर अधूरी बात होने पर पुनः उसे काल करना पड़ता है, इस प्रकार एक ही उपभोक्ता को बार-बार कॉलिग करने से निश्चित ही उस पर दुगना/तीन गुना वित्तीय भार पड़ेगा।

अतः अनुरोध हैं, कि इस निर्णय पर पुर्नविचार कर इस अतिरिक्त भार से उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाये।

सागर

दिनाँक- 15.10.19

अध्यक्ष / सचिव
जिला अधिवक्ता संघ, सागर

अध्यक्ष
अभिभाषक संघ
सागर (म. प्र.)